न्यायालय उपजिलाधिकारी किरावली (आगरा)

वाद सं० T20160101042035

श्रीमती ववीता गुप्ता पत्नी अनिल कुमार गुप्ता नि0 डी. 526 कमलानगर आगरा तहसील व जिला आगरा मुख्य ट्रस्टी सुमन देवी मैमोरियल एजूकेशनल चेरीटेविल ट्रस्ट, आगरा।

बनाम

उ0प्र0 सरकार

धारा–80 उ0प्र0रा0सं02006
मौजा– पतसाल
तहसील किरावली(आगरा)

आदेश

प्रार्थिया श्रीमती ववीता गुप्ता पत्नी अनिल कुमार गुप्ता नि0 डी. 526 कमलानगर आगरा तहसील व जिला आगरा मुख्य ट्रस्टी सुमन देवी मैमोरियल एजूकेशनल चेरीटेविल ट्रस्ट, आगरा द्वारा धारा 80 उ0प्र0रा0सं0 2006 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिया सुमन देवी मैमोरियल एजूकेशनल चैरीटेविल ट्रस्ट आगरा की मुख्य ट्रस्टी है। ट्रस्ट के नाम मौजा पतसाल तहसील किरावली जिला आगरा स्थित गाटा स0 652 रकवा 0.1610है0 लगानी 3–50 पैसा व गाटा सं0 653 रकवा 0.9612है0 लगानी 13–35पैसा संक्रमीय भूमिधरी आराजी है जो ट्रस्ट ने बजरिये बैनामा खरीद की है। ट्रस्ट की यह आराजी हर प्रकार के ऋण भार से मुक्त है कही रहन व जैर जमानत आदि नहीं है और न ट्रस्ट ने इसके विक्रय आदि का कोई इकरारनामा किसी को किया है। यह आराजी सरकारी आस्थान, नजूल अथवा वक्फ की सम्पत्ति नहीं है तथा शासन की किसी योजना के अन्तर्गत आरक्षित नहीं है। ट्रस्ट की उक्त आराजी नम्बरान में अब कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। ट्रस्ट उपरोक्त वर्णित आराजी के अपने रकवे में श्री रामगोपाल महाविद्यालय के नाम से विद्यालय चलाना चाहता है जिसके लिये काफी स्तर पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जो जारी है। ग्राम पतसाल तहसील किरावली जिला आगरा श्रीमानजी के न्याय क्षेत्र के अन्तर्गत है इसलिये प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सुनने व निर्णित करने का अधिकार श्रीमानजी को है। ट्रस्ट की उक्त आराजी का कुल भूराजस्व 16–85 पैसा है। नवीन राजस्व संहिता के अनुसार ट्रस्ट सर्किल रेट के अनुसार जो भी एक प्रतिशत देय है वह आदेशानुसार जमा करने को तैयार है। अन्त में निवेदन किया है कि बाद जांच उपरोक्त गाटा नम्बरान 652 रकवा 0.1610है0 लगानी 3–50 पैसा व गाटा सं0 653 रकवा 0.9612है0 लगान 13–35पैसा को अकृषिक प्रयोजन की भूमि घोषित किया जाय तथा निधारित भूराजस्व समाप्त किया जाये तथा तदनुसार कागजात माल में अमलदरामद किये जाने के आदेश पारित किये जांय। प्रार्थिया ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अपना शपथ पत्र व उद्धरण खतौनी ग्राम पतसाल वर्ष 1423–1428फ0 खाता सं0 00233 व 00566 एवं स्थल के फोटोग्राफ, जो0च0आ0 पत्र 41 व 45 एवं नक्शा की छायापति जिसमें प्रश्नगत भूमि को पीले रंग से दर्शाया गया है, संलग्न किये हैं।

उक्त प्रार्थना पत्र की तहसीलदार किरावली से जांच कराई गई। तहसीलदार किरावली ने अपनी जांच आख्या दिनांक 28–06–2016 को प्रस्तुत की है। तहसीलदार किरावली ने अपनी जांच आख्या दि0 28–06–2016 में अंकित किया है कि ग्राम पतसाल स्थित गाटा सं0 652 रकवा 0.1610है. लगानी 3–50 पैसा व गाटा सं0 653 रकवा 0.9612है0 लगानी 13–35 पैसा के श्रीमती सुमन देवी मैमोरियल एजूकेशनल चैरीटेविल ट्रस्ट आगरा द्वारा मुख्य ट्रस्टी ववीता गुप्ता पत्नी अनिल कुमार गुप्ता नि0 डी0 526 कमलानगर आगरा तहसील व जिला आगरा मालिक/स्वामी हैं। उक्त भूमि पर प्रार्थिया का कब्जा है। खसरा सन् 1423फ0 में कोई फसल दर्ज नहीं है वर्तमान में कोई फसल नहीं है। भूमि पर आवादी निर्माण कार्य चल रहा है। प्रश्नगत भूमि कृषि कार्य, पशुपालन, मत्स्यपालन, कुक्कुट पालन तथा बागवानी आदि के

Scanned by CamScanner

प्रयोजन मे नही लायी जा रही है। उक्त भूमि वि0 प्रा0 उ0प्र0 आवास एवं वि0 परिषद, राष्ट्रीय राजमार्ग, अथवा किसी अन्य शासकीय विभाग द्वारा आवासीय एवं अन्य प्रयोजन में अधिगृहीत किये जाने हेतु प्रस्तावित नही है। प्रश्नगत भूमि किसी प्रकार ग्रामसभा/चकरोड व धारा 132 (सार्वजनिक प्रयोग) में समाविष्ट भूमि सम्मिलित नहीं है। भूमिधर द्वारा किसी प्रकार की सरकारी भूमि को अतिकृमित नहीं किया है। प्रार्थिया किसी प्रकार के शासकीय देय के बाकीदार नही है एवं अनु0 जाति के सदस्य नहीं है। प्रश्नगत भूमि ग्राम पतसाल की है जिसकी श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय आगरा द्वारा जारी सर्किल रेट सूची के अनुसार 40 लाख रूपये प्रति हैक्टे0 की दर से 44,88,800/— मूल्यांकन होता है जिस पर एक प्रतिशत से देय धनराशि 44,888/— (चव्वालीस हजार आठ सौ अठासी रूपये) बनती है। जिसे जमा कराते हुये उक्त भूमि को अकृषिक घोषित करते हुये लगान मुक्त किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या प्रेषित है।

जांचोपरान्त पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थिया व सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा एवं ग्राम पंचायत पतसाल द्वारा प्रधान के नोटिस जारी किये गये जो बाद तामील पत्रावली पर संलग्न हैं। प्रार्थिया श्रीमती ववीता गुप्ता पत्नी श्री अनिल कुमार गुप्ता नि0 डी0 526 कमलानगर आगरा ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने बयान अंकित कराये हैं जिन्होंने अपने बयान में प्रार्थना पत्र दि0 13—06—2016 व शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि की है तथा प्रार्थना पत्र दि0 13—06—2016 व शपथ पत्र पर अपने हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है। प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित कर लगान मुक्त करने की बात कही है। प्रार्थिया के उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा व ग्राम पंचायत पतसाल की ओर से पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद भी कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई है।

धारा 80 उ0प्र0रा0सं0 2006 में दी गई व्यवस्था के अनुसार तहसीलदार किरावली द्वारा अपनी जांच आख्या में धनराशि 44,888/— निर्धारित कर प्रार्थिया से जमा कराकर प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित करते हुये लगान मुक्त कराने की संस्तुति की गई है। जिसके कम में प्रार्थिया द्वारा भा0स्टेट बैंक किरावली में चालान नं0 क्यू--837 से दिनांक 21—07—2016 को मु0 44,888/—रू0 (चवालीस हजार आठ सौ अठासी रू0) जमा कर चालान की मूल प्रति प्रस्तुत की गई है जो पत्रावली पर संलग्न हैं।

प्रार्थिया को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों, तहसीलदार किरावली की आख्या, प्रार्थी के बयान का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रार्थिया ने प्रश्नगत भूमि को धारा 80 उ0प्र0रा0सं0 2006 के तहत अकृषिक घोषित कर लगान मुक्त करने का निवेदन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध उद्धरण खतौनी ग्राम ग्राम पतसाल वर्ष 1423—1428फ0 के खाता सं0 00233 के गाटा सं0 652 रकवा 0.1610है0 सुमनदेवी मैमोरियल एजूकेशनल चैरीटेविल ट्रस्ट आगरा द्वारा मुख्य ट्रस्टी ववीता गुप्ता पत्नी अनिल कुमार गुप्ता नि0 डी0 526 कमलानगर आगरा तहसील व जिला आगरा बतौर संकमणीय भूमिधर व खाता सं0 00566 के गाटा सं0 653 रकवा 1.0038है0 में से रकवा 0.9612है0 की सुमनदेवी मैमोरियल एजूकेशनल चैरीटेविल ट्रस्ट आगरा द्वारा मुख्य ट्रस्टी ववीता गुप्ता पत्नी अनिल कुमार गुप्ता नि0 डी0 526 कमलानगर आगरा तहसील वि जिला आगरा बतौर संकमणीय भूमिधर सहखातेदार दर्ज है। तहसीलदार किरावली की आख्यानुसार उक्त भूमि कृषि, बागवानी, पशु पालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि के प्रयोग में नहीं लाई जा रही है और मौके पर कोई फसल भी नहीं है। उक्त भूमि में मौके पर आवादी निर्माण कार्य चल रहा है। प्रश्नगत भूमि अन्य किसी शासकीय विभाग द्वारा आवासीय एवं अन्य प्रयोजन में अधिग्रहीत किये जाने हेतु प्रस्तावित नहीं है। प्रश्नगत भूमि ग्रामसभा/चकरोड व धारा 132 सार्वजनिक

Scanned by CamScanner